

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री मासिंगाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 135/2023


वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
1. कंचनकंवर पत्नी किशनसिंह		1. सुखीया देवी पत्नी जुगनाथ उर्फ जवाहरनाथ जाति नाथ निवासी गुडा चुतरा तहसील सोजत जिला पाली राज.
2. कदमकंवर पत्नी छैलसिंह		2. मृतक जवाहरनाथ पुत्र प्रेमनाथ के का0मु0
3. दशरथक कंवर पत्नी दलपतसिंह		2/1 भैरनाथ पुत्र जुगनाथ
4. राजकंवर पत्नी महेन्द्र सिंह जातियान राजपुत निवासीगण गुडा चुतरा तहसील सोजत जिला पाली राज0		2/2 हीरनाथ पुत्र जुगनाथ जाति नाथ निवासी गुडा चुतरा
		2/3 गीता पुत्री जुगनाथ पत्नी जगदीशनाथ जाति नाथ निवासी 214 ए लोहारो मस्जिद, नई सडक जोधपुर 342001 राज0
		2/4 सुआ पुत्री जुगनाथ पत्नी मिश्रीनाथ जाति नाथ निवासी शिवपुरा तहसील सोजत जिला पाली राज0
		2/5 सुशीला पुत्री जुगनाथ पत्नी रामनाथ जाति नाथ निवासी 17 नाथो की गली, रडावास तहसील सोजत जिला पाली राज0
		2/6 मृतका संतोष पत्नी श्रवणनाथ पुत्री जुगनाथ के का0मु0
		2/6/1 श्रवणनाथ पुत्र बाबुनाथ
		2/6/2 दिनेश नाथ पुत्र श्रवणनाथ
		2/6/3 दीपक नाथ पुत्र श्रवणनाथ जातियान नाथ निवासी रुन्दिया तहसील सोजत जिला पाली राज0
		2/7 मृतका शोभा पुत्री जुगनाथ पत्नी मदनरावल के का0मु0
		2/7/1 मदन रावल पुत्र ओम रावल
		2/7/2 जीतु रावल पुत्र मदन रावल
		2/7/3 दिव्या रावल पुत्री मदन रावल
		2/7/4 दीपु रावल पुत्र मदन रावल जातियान नाथ
		2/7/2 लगायत 2/7/4 तमाम नाबालिग के कुदरती संरक्षक पिता मदन रावल प्रतिवादी संख्या 2/7/1 तमाम निवासीगण रायराकंला तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत सिटी
		3. तहसील सोजत जिला पाली राज0



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

1. श्री कैलाश दवे, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी उपस्थित


उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

-: निर्णय :-

दिनांक - 16/10/2024

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गुडा चुतरा के खसरा नम्बर 91 रकबा 3.3500 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा वाई मिट्स एण्ड ^{बाउण्डस} बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में दिनांक 26.06.2024 को वाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने कमांक/राजस्व /1532 दिनांक 16.10.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03.09.2024 के अनुसार वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03.09.2024 अनुसार डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा गुडा चुतरा के खसरा नम्बर 91 रकबा 3.3500 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाडा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	जवारनाथ पुत्र प्रेमनाथ हिस्सा 3/4 कौम नाथ सा0 देह खातेदार, सुखिया देवी पत्नि जुगनाथ 1/4 कौम नाथ सा0 देह खातेदार	91	1.1167	बा0दो0	
		01	1.1167		
2.	कंचन कंवर पत्नि किशनसिंह 1/4 कौम राजपुत सा0देह खातेदार कदमकंवर पत्नि छैलसिंह 1/4 कौम राजपुत सा0देह खातेदार दशरथ कंवर पत्नि दलपतसिंह 1/4 कौम राजपुत सा0देह खातेदार राजकंवर पत्नि महेन्द्रसिंह 1/4 कौम राजपुत सा0देह0 खातेदार	91/1	2.2323	बा0दो0	
		01	0.2525		6.35

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिव हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा

उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय, जिला-पाली

एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ़्तर/लेख्य भण्डार जमा हो



यह निर्णय आज दिनांक 16/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगाराम)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

(मासिंगाराम)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

डिकी बमुकदमें इब्दाई

(ओ020 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मारिंगाराग, आर.ए.एस.

राजस्व वाद 135/2023

वादीगण

1. कंचनकंवर पत्नी किशनसिंह
2. कदमकंवर पत्नी छैलसिंह
3. दशरथक कंवर पत्नी दलपतसिंह
4. राजकंवर पत्नी महेन्द्र सिंह जातियान राजपुत निवासीगण गुडा चुतरा तहसील सोजत जिला पाली राज0

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुखीया देवी पत्नी जुगनाथ उर्फ जवाहरनाथ जाति नाथ निवासी गुडा चुतरा तहसील सोजत जिला पाली राज.
2. मृतक जवाहरनाथ पुत्र प्रेमनाथ के का0मु0
2/1 गौरनाथ पुत्र जुगनाथ
2/2 हीरनाथ पुत्र जुगनाथ जाति नाथ निवासी गुडा चुतरा
2/3 गीता पुत्री जुगनाथ पत्नी जगदीशनाथ जाति नाथ निवासी 214 ए लोहारो मस्जिद, नई सडक जोधपुर 342001 राज0
2/4 सुआ पुत्री जुगनाथ पत्नी मिश्रीनाथ जाति नाथ निवासी शिवपुरा तहसील सोजत जिला पाली राज0
2/5 सुशीला पुत्री जुगनाथ पत्नी रामनाथ जाति नाथ निवासी 17 नाथो की गली, रडावास तहसील सोजत जिला पाली राज0
2/6 मृतका संतोष पत्नी श्रवणनाथ पुत्री जुगनाथ के का0मु0
2/6/1 श्रवणनाथ पुत्र बाबुनाथ
2/6/2 दिनेश नाथ पुत्र श्रवणनाथ
2/6/3 दीपक नाथ पुत्र श्रवणनाथ जातियान नाथ निवासी रुन्दिया तहसील सोजत जिला पाली राज0
2/7 मृतका शोभा पुत्री जुगनाथ पत्नी मदनरावल के का0मु0
2/7/1 मदन रावल पुत्र ओम रावल
2/7/2 जीतु रावल पुत्र मदन रावल
2/7/3 दिव्या रावल पुत्री मदन रावल
2/7/4 दीपु रावल पुत्र मदन रावल जातियान नाथ
2/7/2 लगायत 2/7/4 तमाम नाबालिग के कुदरती संरक्षक पिता मदन रावल प्रतिवादी संख्या 2/7/1 तमाम निवासीगण रायराकंला तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत सिटी
3. तहसील सोजत जिला पाली राज0



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद 135/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजिरी श्री कैलाश देव
अधिवक्ता वादी तथा तहसीलदार, सोजत प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है कि माफिक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा गुडा चुतरा के खसरा नम्बर 91 रकबा 3.3500 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	जवारनाथ पुत्र प्रेमनाथ हिरसा 3/4 कौम नाथ सा0 देह खातेदार, सुखिया देवी पत्नि जुगनाथ 1/4 कौम नाथ सा0 देह खातेदार	91	1.1167	बा0दो0	
		01	1.1167		
2.	कंचन कंवर पत्नि किशनसिंह 1/4 कौम राजपुत सा0देह खातेदार कदमकंवर पत्नि छैलसिंह 1/4 कौम राजपुत सा0देह खातेदार दशरथ कंवर पत्नि दलपतसिंह 1/4 कौम राजपुत सा0देह खातेदार राजकंवर पत्नि महेन्द्रसिंह 1/4 कौम राजपुत सा0देह0 खातेदार	91/1	2.2323	बा0दो0	
		01	2.2333		

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाक्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान - मुबलिग - बाबत -
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

वशिलत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16/10/24 को जारी की गई।

(मासिगाराम)

उपस्थंड अधीकरी सोजत,
सोजत, जिला-पाली

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफरिंक	शून्य	शून्य
मतफरिंक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.